

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तें

1. निविदाकर्ता संस्था पंजीकृत संस्था होनी चाहिए तथा उनका पंजीकरण वर्तमान सत्र हेतु अस्तित्व में होना चाहिये। इसे इस लेख में "संस्था" कहा जावेगा।
2. सुरक्षा व्यवस्था "सुरक्षा कर्मचारी" जिनकी आयु 45 वर्ष (पूर्व सैनिक के लिये 55 वर्ष) से कम हो एवं ऊँचाई न्यूनतम 05 फुट 08 इंच ही अनुबंधित किये जा सकेंगे। महिला सुरक्षा कर्मचारी के लिये ऊँचाई 05 फुट 04 इंच होनी चाहिये।
3. बंदूकधारी कर्मचारियों के पास स्वयं के नाम से लाइसेंस एवं बंदूक उपलब्ध होनी चाहिये।
4. समस्त संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित गणवेश में उपस्थित होना होगा तथा उनके वर्दी, डंडा, बैज, टोपी, बैल्ट, टार्च आदि की व्यवस्था संस्था को करनी होगी। निर्धारित वर्दी में उपस्थित न होने पर प्रति कर्मचारी 100/- प्रतिदिन अर्थदण्ड लगेगा, जो संस्था द्वारा देय होगा।
5. सामान्यतः अलग-अलग ड्यूटी के लिये प्रत्येक शिफ्ट में अलग-अलग कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे। विशेष परिस्थिति में डबल-ड्यूटी करवायी जा सकेगी। लेकिन तद्संबंधी पुनरावृत्ति प्रतिमाह 05 बार से अधिक नहीं होगी, जिसकी लिखित सूचना पूर्व में देनी होगी।
6. टेंडर हेतु दरें माहवार होंगी तथा संबंधित संस्था को माह के समस्त दिवसों (अर्थात् 30 दिन/31 दिन/28 दिन) में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी।
7. संस्था को संबंधित कर्मचारियों का विवरण/पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराकर एक पृथक पंजी में रखना होगा तथा कुलसचिव द्वारा मागे जाने पर अभिप्रमाणित कराना होगा।
8. अनुमानित 50 डंडे धारी एवं 25 बंदूक धारी जिनमें 06 महिला सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने होंगे। लेकिन डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (जिसे इस लेख में विश्वविद्यालय कहा जावेगा) की आवश्यकतानुसार यह संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकेगी, जिसकी पूर्व सूचना संबंधित संस्था को एक सप्ताह पूर्व दे दी जावेगी। बढ़ाये गये सुरक्षा कर्मियों पर भी उपरोक्त बिंदु 2, 3, एवं 4 यथावत् लागू होंगे।
9. अनुबंध-काल में दरें सदैव एक सी रहेगी।
10. अनुबंध सामान्यतः एक वर्ष के लिए किया जायेगा। जिसे संतुष्टिपरक सेवायें प्राप्त होने की स्थिति में उभय पक्ष की सहमति से एक-एक वर्ष (अधिकतम तीन वर्ष) तक बढ़ाया जा सकेगा।

11. सुरक्षा कर्मचारी की ड्यूटी पर लापरवाही बरतने अथवा अनाधिकृत (बिना सूचना के) अनुपस्थित रहने पर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन रू. 100/- के हिसाब से राशि काट ली जावेगी। किसी भी प्रकार की चोरी तथा सुरक्षा जनहानि के लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।
12. मद्यपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी भी कर्मचारी के मदिरापान कर ड्यूटी पर आने की स्थिति में संस्था से अनिवार्यतः ड्यूटी से निष्कासित करना होगा।
13. आवारा पशुओं एवं कुत्तों को भगाने का दायित्व भी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों का होगा। विश्वविद्यालय परिसर में अनाधिकृत खेल-कूद आदि को भी रोकना संस्था का दायित्व होगा।
14. श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित मापदण्ड/शर्तों/नियमों के पालन के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी तथा विश्वविद्यालय किन्हीं भी परिस्थितियों में तद्हेतु उत्तरायी नहीं होगा।
15. विश्वविद्यालय संस्था को सिर्फ अनुबंधानुसार निर्धारित राशि देने के लिए बाध्य होगा तथा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान देय नहीं होगा अनुक्रमानुपात चाहे शासन भुगतान बढ़ाता है या घटाता है।
16. संस्था को धरोहर राशि के रूप में रुपये एक लाख जमा कराने होंगे, जिसमें से सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण चोरी होने अथवा विश्वविद्यालय के आर्थिक नुकसान होने की स्थिति में अपेक्षित राशि राजसात की जा सकेगी।
17. सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्राप्त टेण्डर को स्वीकृत/अस्वीकृत कराने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में निहित होगा। अनुबंध के पश्चात् उभय पक्षों में विवाद की स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
18. विश्वविद्यालय संस्था को प्रतिमाह आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित बिल प्रस्तुत करने पर यथाशीघ्र चेक द्वारा भुगतान करेगा तथा व्यक्तिगत रूप से किसी भी तैनात कर्मचारी को संस्थान द्वारा किसी भी अन्य प्रकार सीधा भुगतान नहीं किया जाएगा।
19. संस्था द्वारा बिल का भुगतान करते समय प्रोविडेंट फंड अकाउन्ट्स इ.एस.आई. तथा रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि संस्था द्वारा कर्मचारियों से संबंधित भविष्य निधि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो प्रोविडेंट फंड के लिए देय राशि संस्था के मासिक बिल से रोककर रखी जायेगी।

20. किसी भी तैनात कर्मचारी के साथ दुर्घटना, मृत्यु अथवा प्रोविडेंट फंड आदि की समस्या या कोई शारीरिक अथवा कोई हानि होती है तो इसके लिए विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की ही होगी।
21. नियमानुसार आयक के भुगतान के लिए संस्था के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी और बिल का भुगतान करते समय टी.डी.एस. अनिवार्य रूप से बिल की राशि से काटा जायेगा।
22. सुरक्षा कर्मी मुख्य द्वारा पर आवक-जावक पंजीकाएँ संधारित करने व आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों से सभ्रात पूछताछ करने संबंधी कार्य में दक्ष होना चाहिये।
23. सुरक्षा हेतु प्राप्त टेण्डरों को विश्वविद्यालय सुरक्षा समिति द्वारा टेण्डरकर्ता की उपस्थित में दिनांक 30 अप्रैल 2012 को सांय 5.00 बजे समिति कक्ष में खोला जावेगा।
24. अगर विश्वविद्यालय निविदा को निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत हो जाने पर कार्यहित में कुछ कार्य/आपूर्ति किसी अन्य टेण्डरदाता को देना चाहें तो निविदादाता को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
25. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को बगैर कोई कारण बताये निरस्त कर सकता है।
26. संस्था अपने सुरक्षाकर्मी को चैक द्वारा भुगतान करेगी एवं दिये भुगतान की सूची अथवा चेक की फोटो प्रतिलिपि अगले देयक के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करेगी उसी के उपरान्त ही अगले माह का भुगतान किया जावेगा।
27. सुरक्षा संस्था का पंजीयन "इंडस्ट्रीय सिक्योरिटी एक्ट" के तहत होना आवश्यक है।
28. सुरक्षा संस्था द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सागर में पंजीयन कराना आवश्यक होगा। वैध पंजीयन होने पर ही संस्था आवेदन कर सकेगी।
29. सुरक्षा संस्था द्वारा वि. वि. को सुरक्षा हेतु एक वाहन ड्राइवर के साथ देगी। जिसका खर्च (जिसमें गाड़ी का डीजल तथा देख-रेख शामिल है) सुरक्षा संस्था का होगा।

सागर,

दिनांक : 09-4-2012

सागर

कुलसचिव

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

सुरक्षा व्यवस्था हेतु (निविदा) आवेदन पत्र

1. तकनीकी-वचन (TECHNICAL BID)

1. सुरक्षा संस्था (कंपनी) का नाम
2. पंजीयन क्रमांक एवं तिथि
3. संचालक का नाम एवं पता
- (दूरभाष क्रमांक सहित)
4. श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीयन क्रमांक
- दिनांक (यदि आवश्यक हो)
5. आयकर (पी.ए.एन) क्रमांक एवं दिनांक
6. विगत तीन वर्षों से आयकर विवरण
- प्रस्तुत किया गया है तो उसकी प्रति
- संलग्न करें।
7. विगत तीन वर्षों का कॉमर्शियल टैक्स
- का विवरण प्रस्तुत करें।
8. विगत तीन वर्षों में जिन-जिन
- संस्थाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराई
- गई हो तो उनका विवरण
- (संस्था का नाम/अवधि/उपलब्ध
- कराये गये कर्मचारी)
9. सुरक्षा प्रबंध देखने वाले पराधिकारी
- का विवरण
- क) पदाधिकारी का नाम एवं छायाचित्र
- ख) शैक्षणिक योग्यता
- ग) सुरक्षा संबंधी तकनीकी योग्यता
- एवं अनुभव
10. रसीद का क्रमांक एवं दिनांक
11. डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय की
- शर्तों के अतिरिक्त आपकी सुरक्षा
- कंपनी सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित
- कौन-कौन सी अतिरिक्त

सुविधायें/व्यवस्थायें मुहैया कराएगी।

12.

2. वाणिज्यिक – वचन (COMMERICAL BID)

- सुरक्षा कार्य संबंधित दरें विस्तृत रूप से लिखी जावें एवं सुरक्षा कर्मियों की आयु 45 वर्ष (पूर्व सैनिक के लिये 55 वर्ष) से कम तथा उँचाई 05 फुट 08 इंच, महिला सुरक्षा कर्मियों की उँचाई 05 फुट 04 इंच होना अनिवार्य है।

- (अ) सुरक्षा पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर)
प्रतिमाह व्यक्ति दर
- (ब) सुरक्षा गार्ड (डंडा मैन) प्रतिमाह
व्यक्ति दर
- (स) सुरक्षा गार्ड (गन मैन) प्रतिमाह
व्यक्ति दर
- (द) सुरक्षा गार्ड (एक्स आर्मी मैन)
प्रतिमाह व्यक्ति दर
- (इ) सर्विस चार्ज

(हस्ताक्षर एवं संस्था की सील)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त विवरण मेरे ज्ञान में सत्य है तथा इसमें किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त क्रम में मैं यही भी अभिलिखित करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का मैं पूर्णतः पालन करूँगा।

(हस्ताक्षर एवं संस्था की सील)

नोट :

- संस्था द्वारा सुरक्षा कर्मियों को भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावेगा।
- कॉमर्शियल बिड एवं टेक्नीकल बिड पृथक-पृथक लिफाफों में जमा की जाये।
- टेक्नीकल बिड में योग्य पाये जाने पर ही संबंधित फर्म की कॉमर्शियल बिड खोली जावेगी।